कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 88 / 2017 / 10–11 / 8/1572 भोपाल, दिनांक 01/06/18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.),
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः– जिला अलीराजपुर के अंतर्गत अलीराजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 14.958 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC019/2018-BHO/142 दिनांक 07 / 05 / 2018

––0––

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है:–

1 **<u>शर्त क्रमांक–3 (b)</u>**– इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान ने गैर वनभूमि ग्राम झण्डाना, तहसील सोण्डवा, जिला धार के सर्वे नम्बर 7 रकबा 7.068 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 45 रकबा 10.874 हेक्टेयर मे से पैकी रकबा 9.932 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 17.00 हेक्टेयर, उपलब्ध करा दी है। गैर वनभूमि हस्तांतरण संबंधी फार्म पी–2 की प्रति संलग्न है।

2 **<u>शर्त क्रमांक–4</u>**– इस शर्त के पालन में 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि रूपये 1,09,95,211 /– की तैयार की गयी है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपये 1,09,95,211 /–एड–हॉक कैम्पा में ई–पोर्टल द्वारा जमा की गयी है। आवेदक विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना पुनरीक्षित होने की स्थिति में अंतर की राशि भुगतान करने बाबत् वचन पत्र प्रस्तुत किया है। वचन पत्र संलग्न है।

3 **<u>शर्त क्रमांक–5</u>**– इस शर्त के पालन में नेट प्रेजेंट वेल्यू की राशि रूपये 93,63,708 /– आवेदक संस्था द्वारा एड–हॉक कैम्पा में ई–पोर्टल द्वारा जमा की गयी है। अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि के संबंध में वचन पत्र संलग्न है।

4 **<u>शर्त क्रमांक–6</u>**– इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था से प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रूपये 1,09,95,211 /– एवं एन.पी.व्ही. की राशि रूपये 93,63,708 /– कुल राशि 2,03,58,919 /– दिनांक 24.05.2018 को एड–हॉक कैम्पा में ई–पोर्टल द्वारा जमा की गयी है। कैंम्पा में हस्तांतरित राशि की जानकारी ई–पोर्टल के प्रपत्र में संलग्न प्रेषित है।

5 **<u>शर्त क्रमांक–27</u>**– इस शर्त के पालन में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3.docx

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार प्राप्त पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

01/06/18

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–3/88/2017/10–11/8/1573 भोपाल, दिनांक 01/06/18

प्रतिलिपिः–

1. श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.), वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर एड–हॉक कैंम्पा में हस्तांतरित राशि की जानकारी ई–पोर्टल के प्रपत्र में संलग्न प्रेषित है।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वैश्वरैया भवन,कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल (म0प्र0)।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त इन्दौर, (म0प्र0)।
5. वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन मण्डल अलीराजपुर (म0प्र0)।
6. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16, कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(क्रमांक–1 हेतु)

01/06/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned by CamScanner